

कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या :- 30

राँची-2 दिनांक :- 19/5/15

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना सं०सं०-4/यो० बजट-42/2010-2371 व०प०, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.05.15 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस -गैबियन वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस -गैबियन वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस -गैबियन वृक्षारोपण

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-

6"x2'-6"

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 187.43

रुपये

2.

स्पेसिंग

पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०

पौधे से पौधे की दूरी - 8 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी (रु० में)	सासगी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	घेरान कार्य						
क	बाँस का खूँटा -3 अदद (खूँटे की लंबाई 6'-6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 3 बाँस @ 80.00 रु. ; प्रति ग्रामीण बाँस) दुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	240.00	240.00	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	1.00	187.43	0.00	187.43	
ग	खूँटों की कोलतार/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.20	37.49	6.00	43.49	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.30	56.23	90.00	146.23	
ड.	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गद्दों को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.20	37.49	0.00	37.49	गर्म पेंट में डुबाकर रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा-एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा।
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना-4 खूँटा -20 खूँटा प्रति मानव दिवस (दुलाई सहित)	प्रति गैबियन	0.20	37.49	15.00	52.49	

छ	जाफरी हेतु	प्रति गैबियन		0.00		0.00	
	(1) तार 100 ग्राम (67/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	6.70	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	20.70	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	31.86	0.00	31.86	
	योग		2.07	387.98	378.40	766.38	
(B) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	28.11	20.00	48.11	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	18.74	2.00	20.74	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	28.11	4.50	32.61	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	93.72	25.00	118.72	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	93.72	0.00	93.72	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	262.40	91.50	353.90	
(C) संपोषण (तृतीय वर्ष)							
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	28.11	4.50	32.61	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	93.72	5.00	98.72	
3	बॉस गैबियन का मरम्मत एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	93.72	60.00	153.72	
	योग		1.15	215.54	69.50	285.04	
(D) संपोषण (चतुर्थ वर्ष)							
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	28.11	4.50	32.61	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	93.72	5.00	98.72	
3	बॉस गैबियन का मरम्मत एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	93.72	60.00	153.72	
	योग		1.15	215.54	69.50	285.04	
	कुल योग		5.77	1081.47	608.90	1690.37	

Handwritten signature/initials

- नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।
(2) बाँस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी।
(3) बाँस गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(4) प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(5) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :- 467

दिनांक :- 19/5/15

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्वद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/5/2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची